शंसी/ छित

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांक 494 / जि0पू0अ0 / वाहन नीलामी / 2020 दिनांक 15 नवम्बर, 2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पूर्ति विभाग की निष्प्रयोज्य वाहन संख्या–यू0पी0–32 पी–1584 (डीजल जीप), जो जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में खडी है, की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 18.11.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, श्रावस्ती (भिनगा), में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। नीलामी की शर्ते निम्नवत् होगी:–

1– प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने के पूर्व रू0 5000.00 (पांच हजार रू0) की धनराशि का बैक ड्राफ्ट जो जिला पूर्ति अधिकारी श्रावस्ती के पक्ष में देय होगा, अर्नेष्ट मनी के रूप में जमा करनी होगी:–

2– नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दें।

3– वाहन जहां है, जैसी दशा में है, उसी दशा में नीलाम किया जायेगा।

4– समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब, जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कर दी जाय।

5– नीलामी समिति का यह विचार होने पर कि बोली बोलने वाल व्यक्तियों ने एक गिरोह बना लिया है और गाडी का उचित मूल्य नही मिल रहा है, ऐसी स्थिति परिलक्षित होने पर नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

6– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा बोली का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के समाप्त होते ही तुरन्त नगद जमा करना होगा।

7– यदि नीलामी की 25 प्रतिशित धनराशि जमा नही की जाती है तो अन्तिम बोली निरस्त कर दी जायेगी और नीलाम की गयी उक्त वाहन का पुनः नीलाम किया जायेगा। ऐसी दशा में उच्चतम बोलोदाता की जमा धनराशि मु0 5000.00 (पांच हजार रू0) अर्नेष्ट मनी बहक राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8– समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली जब तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित नही कर दिया जाता, नीलाम किये गये वाहन जहां है, वहीं पर रहेगें तथा इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की होगी।

9– नीलाम की गयी वाहन उच्चतम बोली वाले तभी दी जायेगी जबकि उसके द्वारा वाहन के सम्बन्ध में बोली गयी धनराशि पूरी भुगतान कर दिया हो तथा वाहन को ले जाने की अनुमति दे दी हो।

10– उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत हो जाने के बाद बोली की समस्त धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा करनी होगी तथा पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात वाहन जहां है, वहां से हटा लेना होगा।

11 इच्छुक बोलीदाता बोली के पूर्व वाहन की किसी भी कार्य दिवस में वाहन जहां खडी है, वहां स्थल पर देख सकते है।

12– नीलाम शर्त के विषय में किसी भी विवाद होने पर जिलाधिकारी श्रावस्ती का निर्णय अन्तिम होगा तथा विवाद की विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही श्रावस्ती स्थित सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

13– नीलामी तिथि को शांति–व्यवस्था के दृष्टिगत नीलामी स्थल में परिवर्तन करने का अधिकार जिलाधकारी के विवेक पर निर्भर होगा और इस सम्बन्ध में बोली हेतु उपास्थित व्याक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा नियत स्थल पर ही बोली बोलने हेतु बाध्यता होगी।

14– नीलामी के दौरान बोलीकर्ता को कोविड–19 के गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।

15– समस्त प्रकार के जी0एस0टी0 का भुगतान नीलामी प्राप्तकर्ता को करना होगा।

16– यह विज्ञप्ति जनपद श्रावस्ती के वेवसाइड **(Shravasti.nic.in)** पर देखा जा सकता है।

जिला पूर्ति अधिकारी,
श्रावस्ती।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला सूचना अधिकारी, श्रावस्ती को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्रावस्ती को इस अशय के साथ कि कृपया जिला श्रावस्ती की वेवसाइड **(Shravasti.nic.in)** पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2– हिन्दुस्तान एवं भिनगा टाइम्स को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। बिल की भुगतान हेतु एक प्रति अधोहस्तारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

जिला पूर्ति अधिकारी,
श्रावस्ती।